उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1
संख्याः 483/VII-A-1/2024–03(102)2021
देहरादूनः दिनांक 7 मार्च, 2024

(2)

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 है। (2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 14 के उपनियम (5) (ज) का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14 के उपनियम (5) (ज) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारण कर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित रू0 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।	"राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में पूर्व से आरोपित/अधिरोपित जुर्माना धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

Letter 2024

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 03 माह की समयावधि के भीतर किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रावधान इस नियमावली के संशोधन के प्रख्यापन होने की तिथि से 03 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

उक्तानुसार की गई व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिये जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित का ई–रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।"

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Letter 2024